

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936

No. 153]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/MAGHA 2, 1936

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

का.आ. 219(अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की सं.12) की धारा 3 की उप-धारा 4(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 07-06-2013, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 1485(अ) के क्रम में भारत सरकार एतद्वारा श्रीमती विजया चक्रवर्ती और श्री अब्दुल मन्नन हुसैन के स्थान पर लोक सभा के निम्नलिखित दो सदस्यों को इस अधिसूचना की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित करती है :—

1. श्रीमती बुत्ता रेणुका, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री कामाख्या प्रसाद तासा, संसद सदस्य (लोक सभा)

[फा. सं. 3/1/2009-पटसन (भाग)]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(JUTE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2015

S.O. 219(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section 4(b) of Section 3 of National Jute Board Act, 2008 (No.12 of 2009) and in continuation to the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles S.O. 1485(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 07-06-2013, Government of India hereby nominate following two members of Lok Sabha in place of Smt. Bijoya Chakravarty and Sh. Abdul Mannan Hossain to serve as member in the National Jute Board for a period of two years from the date of the notification:—

- (i) Smt. Butta Renuka, Member of Parliament, (Lok Sabha).
- (ii) Shri Kamakhya Prasad Tasa, Member of Parliament, (Lok Sabha).

[F. No. 3/1/2009-Jute (Pt.)]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.